न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी जिला – बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नाथूसिंह राठौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 77/2011

वादी

1. पृथ्वीराजसिंह पुत्र आसूसिंह
   जाति राजपूत निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पहाड़सिंह पुत्र आसूसिंह
2. बींजराजसिंह पुत्र आसूसिंह
3. श्रवणसिंह पुत्र पहाड़सिंह
4. हेमसिंह पुत्र पहाड़सिंह
5. भीखसिंह पुत्र बीजराजसिंह
   जाति राजपूत निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.10.2017

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी की पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत खसरा संख्या 1528 रकबा 36–06, खसरा संख्या 1530 रकबा 20–06 बीघा, खसरा संख्या 1537 रकबा 0–02 बीघा तथा खसरा संख्या 1538 रकबा 19–01 बीघा कुल रकबा 75–15 बीघा मौजा उदाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बारासण में अवस्थित है। जिस पर वादी का आज दिन तक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिस पर वादी की ढाणी पानी का टांका व चारा बाड़ा आदि बने हुए हैं। वादी की उक्त आराजी के सेढासेढ प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि आई हुई है। प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ जाने से वादी की पुरानी माठों को तोड़कर वादी के कब्जा काश्त की भूमि को हडपने पर उतारू है। इस स्थिति में वादी की उक्त आराजी की सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का नितान्त आवश्यक होने पर पेश किया गया।

वाद दिनांक 13.04.2011 को दर्ज कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु आदिनांक कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया। हमने दोनों पक्षों की वहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद पत्र के प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2066–2069 के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी भूमि है। तथा वादी के वादपत्र का प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार से कोई प्रतिवाद नही किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर उक्त वादी के खेत खसरा संख्या 1528 रकबा 36–06, खसरा संख्या 1530 रकबा 20–06 बीघा, खसरा संख्या 1537 रकबा 0–02 बीघा तथा खसरा संख्या

ढाणी की भूमि पर इस आशय की शाश्वत व्यादेश की आज्ञप्ति प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाती है कि उक्त भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं, उनके पारिवारिक सदस्य, प्रतिनिधि, मजदूर इत्यादि किसी प्रकार का अतिक्रमण, अतिचार नहीं करें एवं वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा नहीं पहुंचावें। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/10/12 को मजमेआम खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/10/12

(नाथूसिंह राठौड़)

सहायक कलक्टर

(S.D.O) गुड़ामालानी

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत **सहायक कलक्टर** (S.D.O.) गुडामालानी

व इजलास **श्री नाथूसिंह राठौड़** आर.ए.एस.

वादी

1. पृथ्वीराजसिंह पुत्र आसूसिंह
   जाति राजपूत निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पहाड़सिंह पुत्र आसूसिंह
2. बींजराजसिंह पुत्र आसूसिंह
3. श्रवणसिंह पुत्र पहाड़सिंह
4. हेमसिंह पुत्र पहाड़सिंह
5. भीखसिंह पुत्र बीजराजसिंह
   जाति राजपूत निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 77 / 2011 निर्णय दिनांक : 04.10.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता वादीगण व हाजरी श्री पूनमाराम विश्नोई अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर उक्त वादी के खेत खसरा संख्या 1528 रकबा 36–06, खसरा संख्या 1530 रकबा 20–06 बीघा, खसरा संख्या 1537 रकबा 0–02 बीघा तथा खसरा संख्या 1538 रकबा 19–01 बीघा कुल रकबा 75–15 बीघा मौजा उदाणियों की ढाणी की भूमि पर इस आशय की शाश्वत व्यादेश की आज्ञप्ति प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाती है कि उक्त भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं, उनके पारिवारिक सदस्य, प्रतिनिधि, मजदूर इत्यादि किसी प्रकार का अतिक्रमण, अतिचार नहीं करें एवं वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा नहीं पहुंचावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04/10/17 को जारी की गई।

मुहर

04/10/17

(नाथूसिंह राठौड़)

सहायक कलक्टर

(S.D.O) गुडामालानी

क्रमांकः वाचक / 2017 /

दिनांक :

प्रतिलिपि :

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुड़ामालानी।

04/10/17

(नाथूसिंह राठौड़)

सहायक कलक्टर

(S.D.O) गुडामालानी